

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक  
प्रति,

/टीसी/ 492 /उपां/नग्रानि/ मुरैना/2016

दिनांक:- /12/2019

1. कलेक्टर,  
जिला मुरैना (म.प्र.)।
2. संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
जिला मुरैना (म.प्र.)।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिक परिषद, मुरैना (म.प्र.)।  
जिला मुरैना (म.प्र.)।

**विषय:-** मुरैना विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत (पुर्नधनत्वीकरण योजना )।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा मुरैना विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयवधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

**संलग्न:-यथोपरि।**

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

दिनांक:- 12/12/2019

पृ. क्रमांक 7396 /टीसी/ 492 /उपां/नग्रानि/ मुरैना/2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

भोपाल, दिनांक:-12/12/2019


क्रमांक 7393 /टीसी/ 492 /उपा/नग्रानि/ मुरैना/2016 भोपाल- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट मुरैना विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

## अनुसूची

क्रं	ग्राम/मौजा	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	जौरा खुर्द तह एवं जिला मुरैना (पुरानी सब्जी मण्डी)	650 651 में से 658 में से	0.418 0.483 0.063	वाणिज्यिक/आवासीय आवासीय आवासीय	वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक
	<b>योग:-</b>		<b>0.964 हेक्टर</b>		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल